103/2021/I/90864/2021-71-2099/783/2021

उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 26 अगस्त, 2021

शुद्धि पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 **में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या**- 88/2021/I/89353/2021, (File No. 71-2099/783/2021), **दिनांक** 16.08.2021 **निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार के वेबसाइट** shasanadesh.up.gov.in/go/intra **पर प्रदर्शित उक्त शासनादेश के विषय में त्रुटिवश ' कोविड**-19 **के दृष्टिगत' टंकित हो गया है।**

2- **अतः उ0प्र0 सरकार के वेबसाइट** shasanadesh.up.gov.in/go/intra **पर प्रदर्शित उक्त शासनादेश संख्या**-88/2021/I/89353/2021, (File No. 71-2099/783/2021), **दिनांक** 16.08.2021 **के विषय को निम्नवत पढ़ा एवं समझा जाए**:-

''**चालू वित्तीय वर्ष** 2021-22 **में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में**''

प्रश्नगत शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

कुलदीप कुमार रस्तोगी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2. **प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।**
4. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
5. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
6. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग**-3/**नियोजन अनुभाग**-4/ **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-2 **।**
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in